Appointments ~ Meetings

जागीरदारी व्यवस्था

जागीरदारी व्यवस्था से का मनसबदारी प्रथा से घनिष्ठ संबंध था। उच्चवर्गीय मनसबदारों को वेतन एवं अन्य प्रशासनिक कोष के भुगतान के लिए जागीरों का आवंटन किया जाता था। जागीर एक निश्चित भूखण्ड थी जहाँ से जागीरदार को लगान एवं अन्य करों की वसूली का अधिकार होता था।

इसी धन से वह अपना वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चे प्राप्त करता था। यह स्मरणीय है कि जागीर में भूमि का आवंटन केवल इस सीमित अर्थ में होता था कि जिस भूमि से लगान की वसूली जागीरदार कर सकता था। अन्यत्र भूमि पर उसको निजी स्वामित्व नही प्राप्त होता था।

जागीरें अनेक प्रकार की होती थी। सामान्यतः जागीरदारों को वेतन आदि के भुगतान के लिए जो जागीरें प्रदान की जाती थी, जिन्हे तनख्वाह जागीर कहते थे।

इसमें भूमि पर स्वामित्व शामिल नही था, प्रशासनिक नियंत्रण भी सीमित था और यह जागीरें वंशानुगत भी नही होती थी बल्कि इनके अधिकारियों का सामान्यतः प्रत्येक तीन-चार वर्षों में स्थानान्तरण कर दिया जाता था।

इनके विपरीत वतन जागीरें थी जो वंशानुगत होती थी। अतः इनके अधिकारियों का स्थानान्तरण भी नही होता था। ऐसी जागीरें सामान्यतः अधीनस्थ शासकों के राज्य पर आधारित होती थी। अतः इनमें प्रशासनिक नियंत्रण और भू-स्वामित्व भी उस शासक का होता था।

PRIORITIES

आरम्भ मे यह वतन जागीरें अकबर के केवल राजपूत शासकों को प्रदान की थी। बाद मे अन्य वंशानुगत शासकों को भी वतन अनुदान मिलने लगे।

Scanned with CamScanner

एक अन्य श्रेणी पुरस्काररूपी जागीरों की थी, जिन्हें इनाम जागीर या अलतमगा जागीर कहते थे। ऐसी जागीर वेतन के रूप में नहीं दी जाती थी और न ही इनके मालिकों को प्रशासनिक दायित्व दिए जाते थे।

जहाँगीर ने ऐसे ही जागीरों को वंशानुगत अनुदानों में परिवर्तित कर दिया। ऐसे अनुदान अल्तमगा कहलाते थे और सम्राट की स्वर्णिम मुहर के साथ प्रदान किये जाते थे। विशेष परिस्थितियों में मशरूत जागीरें भी प्रदान की जाती थी।

आवश्यकतानुसार जागीर भूमि को खालसा में परिवर्तित किया जा सकता था। ऐसी जागीर भूमि जो अस्थाई रूप से प्रशासन के अधीन कर दी जाती थी, पैबाकी कहलाती थी। आवश्यकतानुसार ऐसी पैबाकी भूमि का उपयोग नयी जागीरें प्रदान करने या प्रदत्त जागीरें के क्षेत्रों में विस्तार के लिए किया जाता था।

जागीर के आमदनी में मुख्यतः लगान, व्यापारिक चुंगी, घाट और पत्तनों पर लगनेवाली चुंगी एवं अन्य विविध उपकर शामिल थे जो सैर-जिहात कहलाते थे।

इस समस्त आमदनी के अनुमानित राशि को जमादामी कहते थे, जबकि जागीर से प्राप्त वास्तविक आमदनी को हासिलदामी कहते थे। सामान्यतः दोनों में कुछ अंतर होता था, मगर अकबर के बाद यह अंतर निरंतर बढ़ता गया और इसके कारण जागीरदारी व्यवस्था में संकट उत्पन्न हुआ।